6. लागतों का स्पष्टीकरण (Costs Explained)

घर पर सहायता - लागतों का स्पष्टीकरण

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलिया में वृद्ध देखभाल की अधिकाँश सेवाओं के लिए भुगतान करती है। लेकिन अन्य सभी वृद्ध देखभाल सेवाओं की तरह ही यह उम्मीद की जाती है कि यदि आप खर्चा दे सकते/सकती हैं तो आप अपनी देखभाल की लागत के लिए योगदान देंगे/देंगी। खर्चा न दे पाने की वजह से आपको कभी भी किसी ऐसी सेवा से वंचित नहीं रखा जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है।

आप घर पर वृद्ध देखभाल सेवाओं का जिस वित्त-पोषण कार्यक्रम या पैकेज के माध्यम से उपयोग करते/करती हैं, वह यह निर्धारित करेगा कि आपको कितना भुगतान करने की आवश्यकता होगी। आपको संबंधित सेवाएँ प्राप्त होने से पहले किसी भी शुल्क के बारे में अपने सेवा प्रदाता के साथ चर्चा और सहमति प्राप्त करनी होगी।

सेवाओं की लागत के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वृद्ध देखभाल संपर्क केंद्र (My Aged Care Contact Centre) को 1800 200 422 पर कॉल कर सकते/सकती हैं (कार्यकारी दिनों में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच या शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच) और हम आपके सवालों के जवाब देने में सहायता करने के लिए एक दुभाषिए की व्यवस्था करेंगे।

आप 131 450 पर अनुवाद और दुभाषिया सेवा (Translating and Interpreting Services - TIS) को भी फोन कर सकते/सकती हैं। TIS 100 से भी अधिक भाषाओं को कवर करती है और यह एक स्थानीय कॉल की लागत पर प्रतिदिन 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है। TIS मेरी वृद्ध देखभाल संपर्क केंद्र (My Aged Care Contact Centre) से बात करने में मदद करने हेतु आपके लिए एक दुभाषिए का प्रबंध करेगी।

राष्ट्रमंडल गृह सहायता कार्यक्रम (Commonwealth Home Support Programme) के लिए लागत

यदि आप राष्ट्रमंडल गृह सहायता कार्यक्रम (Commonwealth Home Support Programme) के माध्यम से अपनी सेवाओं को प्राप्त करते/करती हैं, तो आपसे एक शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है।

यह शुल्क कर्मचारियों को काम पर रखने या उपकरणों के शुल्क जैसे खर्चों के लिए सेवाएं प्रदान करने की लागत के प्रति योगदान देता है। यह शुल्क बदलता रहता है। विशिष्ट लागतों का पता लगाने के लिए आपको अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए।

गृह देखभाल पैकेजों (Home Care Packages) की लागत

यदि आप 1 जुलाई 2014 को या इसके बाद एक गृह देखभाल पैकेज प्राप्त करते/करती हैं, तो हो सकता है कि आपका सेवा प्रदाता आपको निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करने के लिए कहे:

- एक बुनियादी शुल्क, जोकि एकल आधारभूत आयु पेंशन (Age Pension) का अधिकतम 17.5% तक हो सकता है
- यदि आपकी आय एक निश्चित राशि से अधिक है, तो एक आय-परीक्षित देखभाल शुल्क।

वृद्ध देखभाल गृहों की लागत

यदि आपने ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा आर्थिक सहायता-प्राप्त वृद्ध देखभाल गृह में जाने का निर्णय ले लिया है या आप इस बारे में सोच रहे/रही हैं, तो आप यह भी सोच रहे होंगे/रही होंगी कि इसके लिए आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा। इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है।

आपकी लागतें निम्नलिखित कारकों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती हैं:

- किसी वृद्ध देखभाल गृह में आपके प्रवेश की तिथि
- आपकी आय और संपत्ति।

लेकिन चिंता न करें, ऐसे मजबूत सुरक्षात्मक नियम बनाए गए हैं जिससे सभी के लिए वहन करने योग्य देखभाल सेवाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके। ऑस्ट्रेलियाई सरकार अधिकतम दैनिक शुल्क की गणना और नियंत्रण करती है। यह इस सीमा को भी लागू करती

है कि आपको आवास भुगतान या आवास योगदान के रूप में कितनी राशि देने को कहा जा सकता है।

लागतें किस प्रकार की होती हैं?

आपको निम्नलिखित शुल्कों में से एक या एक से अधिक का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है:

- एक बुनियादी दैनिक शुल्क: यह भोजन, बिजली और कपड़े धोने के जैसे रूप में लगने वाले रहन सहन के खर्चों के लिए होता है। कुछ लोगों के लिए बस यही एक शुल्क होता है जिसके लिए उन्हें भुगतान करना आवश्यक होता है।
- एक साधन-परीक्षित देखभाल शुल्क: यह देखभाल की लागत के लिए एक अतिरिक्त योगदान होता है, जिसका कुछ लोगों को भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। मानव सेवा विभाग (Department of Human Services) इस बात का निर्धारण करेगा कि क्या आपको इस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है। यह आपकी आय और संपत्ति के एक आंकलन के आधार पर होगा और विभाग आपको यह बताएगा कि यह राशि कितनी है।
- एक आवास भुगतान: यह वृद्ध देखभाल गृह में आपके आवास के लिए होता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार कुछ लोगों के आवास की लागत को संपूर्ण या आँशिक रूप से पूरा करेगी, जबकि अन्य लोगों को वृद्ध देखभाल गृह के साथ सहमत आवास शुल्क का भुगतान करना होगा। मानव सेवा विभाग (Department of Human Services) आपकी आय और संपत्ति के एक आंकलन के आधार पर आपको यह बताएगा कि आपके लिए क्या लागू होता है।

अतिरिक्त या अन्य वैकल्पिक सेवाओं के लिए शुल्क: यदि आप एक ऊँची गुणवत्ता का आवास या अतिरिक्त सेवाएँ चाहते/चाहती हैं, तो अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं। ये हरेक गृह के लिए अलग-अलग होते हैं। आपका वृद्ध देखभाल प्रदाता इन सेवाओं का विवरण और लागू होने वाले शुल्क के बारे में आपको बता सकता है।

शुल्क एस्टिमेटर

मेरी वृद्ध देखभाल (My Aged Care) वेबसाइट पर हमारे शुल्क एस्टिमेटर का उपयोग करके आप उस शुल्क का अनुमान लगाने में मदद प्राप्त कर सकते/सकती हैं, जिसका भुगतान करने के लिए आपका गृह देखभाल पैकेज (Home Care Package) प्रदाता या वृद्ध देखभाल गृह आपको कह सकता है। या आप मेरी वृद्ध देखभाल संपर्क केंद्र (My Aged Care Contact Centre) को 1800 200 422 पर कॉल कर सकते/सकती हैं (कार्यकारी दिवसों में सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच या शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के

बीच)। हम आपके सवालों के जवाब देने और आपके लिए अपनी लागत का अनुमान लगाने में मदद करने के लिए एक दुभाषिए की व्यवस्था करेंगे।

वित्तीय सलाह

आप अपनी वित्तीय परिस्थिति के बारे में एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेने की इच्छा रख सकते/सकती हैं। आपको उचित वित्तीय सलाह देने में मदद करने के लिए कई सरकारी सेवाएँ और सँसाधन मौजूद हैं। आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा रहेगा, यह देखने के लिए कुछ अनुसंधान करना एक अच्छा विचार होता है।

वित्तीय कठिनाई सहायता (Financial Hardship Assistance)

यदि आप ऐसा महसूस करते/करती हैं कि आपको अपने गृह देखभाल पैकेज (Home Care Package) या वृद्ध देखभाल गृह की लागत का भुगतान करने में वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, तो आप वित्तीय कठिनाई सहायता के लिए मनन किए जाने के लिए पूछ सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी वृद्ध देखभाल संपर्क केंद्र (My Aged Care Contact Centre) से 1800 200 422 पर संपर्क करें।

मेरी वृद्ध देखभाल 1800 200 422

अनुवाद और दुभाषिया सेवाएँ (टीआईएस) 131 450